

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 65/अपील/20

बालचन्द दांगी आ० देवा दांगी नि० शिवपुरा तहसील बकानी  
बनाम

(अपीलान्त)

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रिस्पो०)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.09.2020 न्यायालय तहसीलदार बकानी

मि०न० 470/20

पेरोकार सरकार



—: निर्णय :-

दिनांक: 10.11.2020

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.09.2020 जो मिसल न० 470/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम शिवपुरा की आराजी ख०न० 145 रकबा 01 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 58 रूपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त के अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एवं विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को पक्ष रखने का समय नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार तनकनियात कायम कर निर्णय देना चाहिये थाने अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त द्वारा कब्जा छोड़ दिया है व पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रिस्पो० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवादी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न० 1288 निर्णय दिनांक 04.10.2019 से आराजी से बेदखल किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलार्थी आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगे। यदि अपीलार्थी का विवाचित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)  
जिला कलक्टर  
झालावाड़